मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः18.10.2025

थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा अनुमानित कीमत ₹ 25 लाख के अवैध गांजा व तस्करी में आटो रिक्शा के साथ 02 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर की जा रही कार्यवाही में "नितेश सिंह" अपर पुलिस अधीक्षक नगर व "अमर बहादुर" क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पड़री पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 18.01.2025 को मुखबीर के सूचना के आधार थाना पड़री पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग कर आटो रिक्शा वाहन संख्याः UP 57 AT 3318 में सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता 1.पवन यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम हफुआ थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर व 2. चन्द्रशेखर कुमार माझी पुत्र विश्वनाथ माझी निवासी ग्राम इकदेरवा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज, बिहार बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा उक्त आटो रिक्शा की तलाशी ली गयी तो आटो रिक्शा के उपर छतरी में कैबिन में छिपाकर रखा हुआ कुल 50.280 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पड़री पर मु0अ0सं0-215/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त आटो रिक्शा को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे उड़ीसा से आटो रिक्शा के उपर छतरी में कैबिन बनाकर कैबिन में छिपाकर गांजा लादकर बिहार ले जा रहे थे। मांग के अनुसार गांजा बेच कर प्राप्त पैसे को आपस में बांटकर भौतिक सुख-सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. पवन यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम हफुआ थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, उम्र 28 वर्ष।
2. चन्द्रशेखर कुमार माझी पुत्र विश्वनाथ माझी निवासी ग्राम इकदेरवा थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज, बिहार, उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

50.280 किलो ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 25 लाख)
गांजा परिवहन में प्रयुक्त आटो रिक्शा वाहन संख्याः UP 57 AT 3318

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0स0-215/2025 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय —

थाना पड़री क्षेत्रांतर्गत ग्राम बर्जीमुकुन्दपुर हाईवे से, दिनांकः 18.10.2025 को समय रात्रि 01.50 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक अजित कुमार सिंह, उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, उप निरीक्षक राम भवन, उप निरीक्षक कैलाश नाथ सिंह हे0कां0 शिव बदन बिन्द, हे0कां0 संजय सिंह यादव, हे0कां0 मनीष सिंह, हे0कां0 रणविजय कुशवाहा, हे0कां0 रवि प्रकाश, हे0कां0 सर्वेश यादव।

******

उत्तर प्रदेश पुलिस